आधुनिक भारत के शिल्पी : सरदार वल्लभ भाई पटेल

सुरेन्द्र कुमार
सहायक प्रवक्ता, इतिहास विभाग
वैष्य महाविद्यालय, भिवानी।

सरदार वल्लभ भाई पटेल की गणना भारत के महान देषभक्तों में की जाती है। वे भारत के राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम के अटल स्तम्भ थे। उनमें बिस्मार्क जैसी संगठन कुषलता, कौटिल्य जैसी राजनैतिक सुझ–बुझ और अब्राहिम लिंकन के समान राष्ट्र भक्ति विद्यमान थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने असाधारण योग्यता एवं साहस का परिचय देते हुए देष की विभिन्न छोटी–बड़ी रिसायतों का विलनीकरण करके विष्व के मानचित्र पर एक अखण्ड भारत का निर्माण किया।

स्वतन्त्रता–प्राप्ति के समय भारत में लगभग छोटी–बड़ी 565 रियासतें थी, जिनके अन्तर्गत 715,964 वर्गमील क्षेत्रफल था और 1941 की जनगणना के अनुसार लगभग 931189233 जनसंख्या थी। परन्तु कोई भी रियासत राजनैतिक दृष्टि से स्वतन्त्र सार्वभौमिकता का प्रयोग नहीं करती थी और वे ब्रिटिष सरकार की अधिसत्तापूर्ण थी।

भोपाल के नवाब ने कैबिनेट मिषन के सामने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कहा कि, ''भारत की रियासतें अधिक से अधिक प्रभुत्व के साथ अपना अस्तित्व बनाये रखना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि भारत के दो खण्ड बनाये जा सकते है तो रियासतों के लिए तीसरा खण्ड भी बनाया जाना चाहिए। रियासतों को भारत व पाकिस्तान में शामिल न किया जाये। ब्रिटिष भारत में जो भी सरकार बने, वह रियासतों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें।'' 29 जनवरी 1947 ई0 को चेम्बर ऑफ प्रिंसेज की स्थाई समिति ने बम्बई की बैठक में कुद विषिष्ट अधिकारों की माँग की और कहा कि रियासतों का भारत संघ में शामिल होने का अन्तिम निर्णय रियासतों का होना चाहिए। परन्तु बड़ौदा के शासक ने इस निर्णय से असहमति जताते हुए व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा में शामिल होने का निष्चय किया। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिष प्रधानमंत्री एटली ने जून 1948 ई0 को भारत को स्वतन्त्र करने की घोषणा की और देषी रिसायतों की सर्वोच्च सत्ता एवं दायित्वों को ब्रिटिष भारत की किसी सरकार को न सौंपने का स्पष्ट आष्वासन दिया, जिसके फलस्वरूप दोनों पक्ष प्रभावित हुए। 15 अप्रैल 1947 को बड़ौदा में सरदार पटेल ने राजाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि वे कांग्रेस से भयभीत न हो और संविधान सभा में भाग ले। उन्होंने चेतावनी भी दी कि, ''अन्त में हारकर आएगें, वह शोभा नहीं देगा। शादी के बाजे शादी के वक्त ही अच्छे लगते हैं, मौत के समय शोभा नहीं देते।''

16 अप्रैल 1947 को सरदार पटेल ने सूरत में अपने भाषण में रियासतों की ''ठहरो और देखो'' नीति की आलोचना करते हुए कहा कि राजाओं को शीघ्र ही अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेज दें। 28 अप्रैल 1947 ई0 की संविधान सभा के अधिवेषन में बड़ौदा, जयपुर, रीवाँ, कोचीन, बीकानेर, जोधपुर, ग्वालियर एवं पटियाला के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। लार्ड माउण्टबैण्टन ने भारत–विभाजन का निर्णय लेने के बाद जवाहरलाल नेहरू को भारत का जो प्रारूप दिखाया, उसमें भारत मात्र दो हिस्सों में नहीं वरन् अनेक छोटे–छोटे खण्डों में विभाजित था। माउण्ट बैटन ने अनुभव किया कि राजाओं के मध्य गम्भीर मतभेद है। भोपाल एवं ट्रावनकोर के राजा स्वतन्त्रता के पक्षधर थे। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, पटियाला एवं ग्वालियर के शासक संविधान सभा में सम्मिलत होना चाहते थे। हैदराबाद के निजाम जिन्ना के साथ समझौता करके पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे।

भारत स्वतन्त्रता अधिनियम के अन्तर्गत अंग्रेजी सरकार ने सभी देषी रियासतों को उनकी संप्रभुता वापस लौटा दी और उन्हें छूट दे दी गई कि वे अपनी इच्छानुसार भारत या पाकिस्तान में किसी के भी साथ समझौता कर ले अथवा अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये रखे। अतः अनेक देषी रियासतों के राजा स्वतन्त्र राज्यों का स्वप्न देखने लगे। परन्तु 15 जून 1947 को कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए अपने प्रस्ताव में कहा कि, ''अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, भारत में किसी भी रियासत की स्वतन्त्रता की घोषणा करने और शेष भारत से अलग रहने की माँग को स्वीकार नहीं कर सकती। यह भारतीय इतिहास तथा जनता के लक्ष्यों की अस्वीकृति माना जाएगा।'' 5 जुलाई 1947 को भारतीय राज्य विभाग लौह पुरूष सरदार पटेल को सौंप दिया गया और वी.पी. मेनन को उनका सचिव बनाया गया। इसी दिन सरदार पटेल ने अपने ऐतिहासिक वक्तव्य में रियासतों के प्रति कांग्रेस के सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का आष्वासन दिया तथा ''केवल सुरक्षा, वैदेषिक सम्बन्ध और परिवहन के क्षेत्र में केन्द्रिय सरकार के अन्तर्गत आने का निवेदन किया।'' उन्होंने इतिहास की ओर इषारा करते हुए कहा, ''हमारी खण्डित अवस्था और एक होकर मुकाबला न करने की हमारी अयोग्यता का निरन्तर हमें षिकार होना पड़ा। हमारे आपसी झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष और बैर भाव के कारण ही जो विदेषी आए, उनके सामने हम हार गए।'' सरदार पटेल ने रियासतों के शासकों और उनकी जनता को अपनी मातृभूमि के प्रति समान निष्ठा से प्रेरित होकर सबके समान हित के लिए मैत्रीपूर्ण और सहयोग की भावना से संविधान सभा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।

11 अगस्त 1947 ई0 को सरदार पटेल ने अपने सम्बोधन में कहा कि, ''चार दिन पश्चात विदेषी सरकार चली जाएगी। अतः रियासतें 15 अगस्त तक भारतीय संघ में शामिल हो जाये, अन्यथा उनके साथ कठोर व्यवहार किया जाएगा।'' उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि ''आज की दुनिया में अकेला रहना मुष्किल है। जब तेज आँधी आती है तब अकेला पेड़ गिर जाता है। मगर जो दूसरे पेड़ों के समूह में होता है वह बच जाता है। आप भी रामचन्द्र जी और अषोक जैसों के वंषज है। परन्तु यह भी सत्य है कि आप आजकल अंग्रेज अधिकारियों के छोटे–छोटे चपडासियों को भी सलाम मारते हैं। आपको अभी यह विष्वास नहीं है कि 15 अगस्त को अंग्रेज चले जाएँगे। परन्तु जब वे जाएँगे और आपको स्वतन्त्रता की हवा लगेगी तब आपके हृदय पट्ट खुलेगें।'' सरदार पटेल और वी.पी. मेनन के अथक प्रयासों से 14 अगस्त 1947 तक पटियाला, बीकानेर, धौलपुर, भरतपुर, बिलासपुर, ग्वालियर, नाभा, ट्रावणकौर, जोधपुर, भोपाल और इन्दौर रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गई। हैदराबाद, जूनागढ़, कठियाबांड एवं कष्मीर अब भी स्वतन्त्र थी।

1941 ई0 की जनगणना के अनुसार जूनागढ़ की जनसंख्या लगभग 670719 थी, इसमें 80 प्रतिषत हिन्दू थे। वहां का नवाब महावत खान रसूल खान था। उसे कुत्ते पालने का शौक था और उन पर वह अत्यधिक मात्रा में धन खर्च करता था। रियासत का सारा कार्य दीवान शाहनवाज भूट्टों देखता था, जो जिन्ना एवं मुस्लिम लीग के प्रभाव में था। जूनागढ़ में भी भावनगर, नवानगर, मौरवी, गोंडल, पोरबन्दर तथा वनकानकर इत्यादि रियासतें थी। भारत के राज्य विभाग ने जूनागढ़ में प्रवेष–लिखित पूर्ति हेतु भेजा। 13 अगस्त 1947 को शहनवाज भूट्टों ने उतर दिया कि वह विचाराधीन है। परन्तु भारत को अन्धकार में रखते हुए 15 अगस्त 1947 को जूनागढ़ पाकिस्तान में शामिल हो गया। जूनागढ़ की भीतरी रियासतों ने नवाब के इस कार्य की कडी आलोचना की। नवानगर के जाम साहब दिल्ली आए और सरदार पटेल तथा राज्य विभाग से काठियाबाद क्षेत्र में स्थाई शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए शीघ्र कार्यवाही का अनुरोध किया।

17 सितम्बर 1947 ई0 को केन्द्रिय मन्त्रिमण्डल में फैसला लिया गया कि जूनागढ़ के चारो तरफ घेरा डाला जाए। जूनागढ़ के नवाब ने बाबरियागढ़ में सैनिक हस्तक्षेप करके 51 ग्रामों के शेखों को पाकिस्तान में सम्मिलित होने के लिए बाध्य किया, जो पहले ही भारत में शामिल हो चुके थे। सरदार पटेल के निर्णयानुसार कमाण्डर गुरदयाल सिंह के नेतृत्व में सेनाएं जूनागढ़ भेजी गई। भारतीय सेना ने जूनागढ़ की आर्थिक नाकेबन्दी कर दी। नवाब सैनिक कार्यवाही के भय से कराची भाग गया। सरदार पटेल ने जूनागढ़ जाकर वहां के लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए उसे भारत में सम्मिलत कर लिया और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि वो भारत के आन्तरिक मामलें में हस्तक्षेप न करें। 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ। 20 फरवरी 1949 में ये रियासतें सौराष्ट्र संघ में मिला ली गई।

भारतीय देषी रियासतों के शासकों में से हैदराबाद का निजाम मीर उस्मानअली खान बहादुर सबसे अधिक महत्वाकाँक्षी थे। उन्होंने 12 जून 1947 को घोषित किया कि अंग्रेजो के चले जाने के बाद हैदराबाद एक स्वतन्त्र राज्य की स्थिति प्राप्त कर लेगा। 29 नवम्बर 1947 को भारत सरकार एवं हैदराबाद के निजाम के मध्य एक 'यथास्थिति समझौता' हुआ, जिसके अर्न्तगत तय हुआ कि ''15 अगस्त 1947 के पूर्व तक हैदराबाद से पारस्परिक सम्बन्ध की जो व्यवस्था थी, वह बनी रहेगी। सुरक्षा, वैदेषिक सम्बन्ध और परिवहन की कोई नई व्यवस्था नहीं की जायेगी।'' समझौते की शर्तो के पालन के लिए दोनों ही एक दूसरे के पास एक–एक प्रतिनिधि रखेगी। सरदार पटेल ने के.एम. मुंषी को भारत सरकार का प्रतिनिधि बनाकर हैदराबाद भेजा। परन्तु शीघ्र ही निजाम ने ''यथास्थिति समझौते'' का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान को 20 करोड़ रूपये का ऋण दिया और बगैर भारत को सूचित किये पाकिस्तान में एक जन–सम्पर्क अधिकारी भी नियुक्त कर दिया। इतना ही नहीं निजाम के निर्देषों से ही 'इत्तिहादुल मुसलनीन' नामक फासिस्ट संगठन, जिसका मुखिया कासिम रिजवी था, वहां पर हिन्दुओं पर अत्याचार कर रहा था। यह संगठन खुलेआम हिन्दूओं एवं भारत सरकार के विरूद्व घृणा का भी प्रचार कर रहा था। के.एम.मुंषी ने निजाम के प्रधानमन्त्री लायक अली के पास इस विषय पर पत्र भी भेजा।

16 अप्रैल 1948 को लायकअली ने पटेल से मुलाकात की तो पटेल उसे चेतावनी देते हए कहा कि, ''मैं आपको असमजस की स्थिति में नहीं रखना चाहता। हैदराबाद की समस्या उसी प्रकार हल होगी जेसी कि अन्य रियासतों की, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हम कभी भारत के अन्दर एक अलग स्वतन्त्र स्थान के लिए सहमत नहीं हो सकते, जिससे भारतीय संघ की एकता भंग हो, जिसे हमने खुन तथा पसीने से बनाया है। हम मैत्रीपूर्ण ढंग से रहना तथा समस्याओं को सुलझाना चाहते है, पर इसका अभिप्रायः यह नहीं है कि हम कभी हैदराबाद की स्वतन्त्रता पर सहमत हो जायेंगे। हैदराबाद को स्वतन्त्र अस्तित्व प्राप्त करने का प्रत्येक प्रयास असफल होगा।''

हैदराबाद की समस्या दिन–प्रतिदिन विषम होती चली गई। 28 अगस्त 1948 को दिल्ली में हैदराबाद सरकार के प्रतिनिधि ने हैदराबाद समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने की सूचना दी। सरदार पटेल ने हैदराबाद में सैनिक कार्यवाही के लिए ''मेजर जनरल जे.एम.चौधरी के नेतृत्व में भारतीय सेनाएँ भेजी गई। 17 सितम्बर 1948 को हैदराबाद की सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया।

कष्मीर–भारत की उत्तर–पष्चिम सीमा पर स्थित वह राज्य है जो भारत एवं पाकिस्तान को जोड़ता है। आजादी के समय कष्मीर के शासक हरिसिंह ने स्वतन्त्र राज्य की कल्पना करते हुए भारत एवं पाकिस्तान दोनों में यथास्थिति समझौता कर लिया। कष्मीर में यातायात, डाक एवं संचार के साधन पाकिस्तान से होकर जाते थे। पाकिस्तान ने कष्मीर पर पाकिस्तान में विलय का दबाव बनाने के लिए कष्मीर के अन्न, पैट्रोल व अन्य आवष्यक वस्तुएँ भेजना बन्द कर दिया। सितम्बर एवं अक्तूबर 1947 को पाकिस्तान ने कबायलियों के रूप में सषस्त्र 5000 सैनिकों को कष्मीर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कष्मीर के राजा हरिसिंह ने 24 अक्तूबर को भारत से सैनिक सहायता माँगी और 26 अक्तूबर को कष्मीर के भारत में शामिल होने की लिखित घोषणा कर दी।

27 नवम्बर 1947 को भारतीय सेनाएं हवाई जहाजों के द्वारा कष्मीर भेजी गई। भारतीय सेना ने श्रीनगर से पाकिस्तानी सेना को वापस खदेड़ दिया। 1 जनवरी 1948 को सरदार पटेल की असहमती के बावजूद कष्मीर का प्रष्न संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया। पटेल ने बड़े दुःख से कहा कि ''यदि जवाहर लाल नेहरू और गोपाल स्वामी आयगर ने कष्मीर को अपना व्यक्तिगत विषय बनाकर रियासत विभाग से अलग न किया होता तो कष्मीर समस्या उसी प्रकार हल होती जैसे कि हैदराबाद की।''

सरदार पटेल ने स्वतन्त्रता–प्राप्ति के पष्चात् रियासतों का विलय किया और एक अखण्ड भारत का स्वरूप प्रदान किया। पटेल ने उडीसा एवं छत्तीसगढ़ की छोटी–छोटी रियासतों को उड़ीसा एवं मध्य प्रान्त में मिलाई गई। काठियावाड़ में 14 सलामी, 17 गैर सलामी एवं 119 छोटी रियासतें थी। पटेल ने इनका विलय करके सौराष्ट्र संघ का निर्माण किया। सौराष्ट्र संघ का विधान बनाने के लिए एवं विधान परिषद् की स्थापना की। राजस्थान में भी 18 मार्च 1848 ई0 को अलवर,

भरतपुर, धौलपुर तथा करौली की रियासतों को सम्मिलित करके 'संयुक्त मत्स्य' की स्थापना की गई। दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान संघ में कोटा, बासबाड़ा, बूँदी, डूँगरपुर, भीलवाड़ा, किषनगढ़, प्रतापगढ, शाहपुरा तथा टोंक की रियासते शामिल की गई। तीसरे चरण में 1 अप्रैल 1948 को उदयपुर को और चौथे चरण में 18 अप्रैल 1948 को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर तथा जैसलमेर को राजस्थान संघ में मिला लिया गया।

पटेल ने 2 अप्रैल 1948 को 38 रियासतों को एक जूट करके संयुक्त विन्धय प्रदेष की स्थापना की। 1 जनवरी 1950 को विन्ध प्रदेष का शासन केन्द्र सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। मध्य भारत को दो संघों–ग्वालियर एवं इन्दौर में विभक्त करने का प्रस्ताव रखा। परन्तु पटेल ने इनमें संघर्ष की आषंका को लेकर एक संघ का निर्माण पर बल दिया, जो स्वीकार कर ली गई। पंजाब में पटियाला, जीन्द, नाभा, फरीदकोट, मलेर कोटला और कपूरथला का मिलाकर एक संघ 'पेप्सू' का निर्माण किया गया। वी.पी. मेनन ने ट्रावणकोर एवं कोचीन को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया।

पटेल द्वारा नव–भारत निर्माण में देषी रियासतों का विलय अपनी अहिंसात्मक एवं शान्तिपूर्ण पद्वतियों के लिए विष्व के इतिहास में एक अभूतपूर्व क्रान्ति रहा है। प्रसिद्व राजनेता एन.वी. गाडगिल का कहना था कि, ''यदि महात्मा गाँधी हमारी स्वतन्त्रता के निर्माता है, तो सरदार पटेल भारतीय संघ के विष्वकर्मा है।'' मोरारजी देसाई ने पटेल की बिस्मार्क से तुलना करते हुए लिखा कि ''उन्होंने अधिक समय लिया और वह भी एक छोटे देष में जहाँ कुछ ही राज्य थे तथा एक ही धर्म के लोग थे। परन्तु पटेल ने यह कार्य एक विषाल देष में जहाँ विभिन्न धर्म तथा भाषा के लोग थे और जहाँ देष के प्रति अधिक देष भक्ति भी न थी।''

इस समस्या का समाधान पटेल ने अत्यधिक साहस एवं धैर्य से किया। इसी कारण भारतीय इतिहास में उन्हें लौहपुरुष एवं आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में सदैव स्मरण किया जाएगा।

सन्दर्भित ग्रन्थ–सूची

पुस्तकें हिन्दी एवं गुजराती

1. दुर्गादास (सम्पादित) सरदार पटेल का पत्र व्यवहार, 1945–1950 (सम्बन्धित खण्ड)
2. परीख, नरहरि द्वा : सरदार पटेल के भाषण (1918 से 1947 तक अहमदाबाद, 1950)
3. परीख, नरहरि द्वा : सरदार वल्लभ भाई पटेल, खण्ड 1 व 2 (अहमदाबाद, 1950 व 1956)
4. राष्ट्रीय एकता का निर्माण–सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाषण (पब्लिकेषन डिविजन, 1954)

B) Books in English.

1. Ahluwalia, B.K.: Sardar Patel (Delhi, 1974).
2. Bahadur, K.P: History of Freedom movment in India Vol. 4 (new Delhi, 1948).
3. Das, Durga (Ed.): Sardar Patel's correspondence 1945-50 (relvant volumes).
4. Larry Collins and Dominique Lapierre; Freedom at Midnight (new Delhi, 1976).
5. Menon, V.P.: The Transfer of Power-India (Calcutta, 1957).
6. Menon, V.P.: the story of Integration of the Indian States (Bombay, 1961).
7. Munshi K.M.: Indian constitutional documents, Vol. 2, Munshi Papers (Bombay 1967).
8. Nandurkar, G.M. (Ed.): this was Sardar-The commemoreative volume (Ahmedabad, 1974).
9. Parikh, narhari: Sardar Vallabhai Patel Vol. – 1 & 2 (Ahmedabad, 1953).
10. Ziegler, Phillip, Mountbatten: The official Biography (London, 1985).